

छात्रवृत्ति

महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध छात्र-वृत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. छात्र-वृत्ति का प्रकार	अवधि	दर	आधार
01. राष्ट्रीय छात्र-वृत्तियाँ (क) स्नातक (सामान्य)	प्रथम वर्ष	100 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 60 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी	योग्यता एवं साधन (अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत 60 या उससे अधिक तथा माता-पिता की आय 6000 रु. वार्षिक तक होना अनिवार्य है ।)
	शेष दो वर्ष	80 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी 140 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	
(ख) स्नातक व्यावसायिक	दो वर्ष	120 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी 170 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	
02. प्रायमरी एवम् हायर सेकेण्डरी के शिक्षकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्र-वृत्ति	प्रथम वर्ष	75 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	
स्नातक (सामान्य शिक्षण)	-	50 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	
	शेष दो वर्ष	110 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 75 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	
03. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति			
(1) स्नातक	तीन वर्ष	72 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 65 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी	(अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत 50 या उससे अधिक तथा माता-पिता की आय 6000 रु. वार्षिक तक होना चाहिए)
(2) स्नातकोत्तर	दो वर्ष	90 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 85 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी	
(3) शोध	दो वर्ष	150 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	योग्यता तथा शोध हेतु पंजीयन होना आवश्यक है और छात्रा द्वारा अर्हकारी परीक्षा में उसी वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए ।
		140 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी	
04. एकीकृत छात्रवृत्तियाँ -			
(1) शोध	दो वर्ष	250 रु. प्रतिमाह	योग्यता केवल शोध हेतु पंजीयन होना आवश्यक है ।
(2) एम.फिल.	दस माह	150 रु. प्रतिमाह	इस छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र आवेदन करें जिन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो ।

क्र. छात्र-वृत्ति का प्रकार	अवधि	दर	आधार
(3) स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां			
स्नातकोत्तर	दो वर्ष	75 रू. प्रतिमाह	योग्यता एवं साधन (आय सीमा 6,000 रू. वार्षिक के अधीन)
05. स्नातक छात्रवृत्तियां महाविद्यालय के लिए	3 वर्ष	50 रू. प्रतिमाह गैर छात्रावासी	योग्यता (इस छात्रवृत्ति हेतु वे ही छात्र आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो)
		60 रू. प्रतिमाह छात्रावासी	खेलकूद छात्रवृत्तियां 10 माह 50 रू. प्रतिमाहयोग्यता
06. रा.छा. सेना सीनियर	10 माह	50 रू. प्रतिमाह	योग्यता
07. मृत सैनिकों के बच्चों को		100 रू. प्रतिमाह छात्रावासी	मृत सैनिक को छ.ग. का निवासी विशेष छात्रवृत्तियां 65 रू. प्रतिमाह गैर छात्रावासी होना आवश्यक है ।
08. डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां		75 रू. प्रतिमाह छात्रावासी स्नातक गैर छात्रावासी 100 रू. प्रतिमाह गैर छात्रावासी स्नातकोत्तर 75 रू. गैर छात्रावासी	साधन के आधार पर कलेक्टर के प्रमाणीकरण पर ।
09. बी.पी.एल. छात्रवृत्ति		स्नातक 300 रू. प्रतिमाह स्नातकोत्तर 500 रू. प्रतिमाह	
10. राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति		स्नातक स्तर 1000 रू.	हायर सेकेण्डरी में 80 प्रतिशत से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों को केन्द्र शासन द्वारा चयन पर ।

टीप :

1. राष्ट्रीय छात्र-वृत्तियों के आवेदन पत्र, योग्यता प्राप्त छात्र / छात्राओं को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, विश्वविद्यालयों, विद्यालयों द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं । इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से आयुक्त महाविद्यालयीन शिक्षा को भेजे जाने चाहिये ।
2. अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा को निर्धारित तिथि के भीतर भेजा जाना चाहिए ।
3. राष्ट्रीय छात्र-वृत्तियों को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।
4. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथि महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी ।
5. छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने के लिए अध्येता को इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि कक्षा में उसकी उपस्थिति कम नहीं है ।

छत्तीसगढ़ शासन

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
भारत सरकार की मैट्रिककोत्तर छात्रवृत्ति
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए
सत्र 2010-11 से संशोधन परिवर्तन दर

ग्रुप	छात्रावासी दर		गैर छात्रावासी दर	
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दर	राज्य सरकार			
ग्रुप - ई				
बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस-सी. प्रथम	570.00		300.00	
ग्रुप - डी				
बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस-सी. द्वितीय एवं तृतीय	570.00		300.00	
ग्रुप - बी, सी				
एम.ए. / एम.कॉम. / एम.एस-सी./ एल.एल.बी./ डी.बी.एम.	820.00		530.00	
पूर्व एवं अंतिम				
आय प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (1) दो लाख 50 हजार तक पूरी पात्रता ।				
अन्य पिछड़ा वर्ग दर	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस-सी. प्रथम	100.00	110.00	55.00	70.00
बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस-सी. द्वितीय एवं तृतीय	115.00	130.00	70.00	85.00
एम.ए. / एम.कॉम. / एम.एस-सी./ एल.एल.बी. पूर्व एवं डी.बी.एम.	125.00	135.00	100.00	110.00
एम.ए. / एम.कॉम. / एम.एस-सी. अंतिम / एल.एल.बी. द्वितीय एवं तृतीय			105.00	115.00
आय प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग (1) एक लाख रूपये तक पूरी पात्रता ।				

- नोट :-**
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य है, कि पिता (छात्र / छात्राओं के)/ पालक शासकीय या अर्द्धशासकीय सेवाओं में सेवारत नहीं है तथा प्रस्तुत आय-प्रमाण पत्र में समस्त स्रोतों से प्राप्त आय शामिल है ।
 2. सत्र 2016-17 में समस्त छात्रवृत्ति छात्र-छात्राएँ के बैंक खाता में प्राप्त होगा । अतः प्रवेश लेने के बाद बैंक में खाता अवश्य खोलें ।
 3. छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है अतः आधार कार्ड अवश्य बनावें ।